न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–156/2010/भीलवाड़ा (2010/00007)

1. चतरसिंह पुत्र पदमसिंह, जाति राजपूत, निवासी खेमाणा, तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. बरजी पत्नी नानू,
2. भोजराज पुत्र नानू,
3. उदयराम पुत्र नानू,
4. कंचन पुत्री नानू,
5. हीरू पुत्री नानू,
6. जमना पुत्री नानू नाबालिग जरिये सरंक्षक माता बरजी,
   समस्त जाति गाडरी, नि0 खेमाणा, तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा ।
7. गोपी पुत्र गंगाराम, जाति सुथार, निवासी खेमाणा, तह0 रायपुर, जिला भीलवाडा ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंटस

9. शिवसिंह पुत्र पदमसिंह, जाति राजपूत, नि0 खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा । **(नाम तकी)**

तरतीबी रेस्पोर्डेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), रायपुर दिनांक 19.8.2010 अंतर्गत अपील संख्या 3/2010.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल, वकील अपीलांट ।
2. श्री राघवेन्द्र राणावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1से 6.

निर्णय

दिनांक :– 23.4.2018

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), रायपुर (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.8. 2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान

भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 9 ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेमाणा के आराजी संख्या 835/1–ख रकबा 4 बिस्वा चाह व खसरा नंबर 835/1–क रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि भू–प्रबंध के दौरान प्रार्थी की सीमा को टेढ़ा मैढ़ा कर दिया जिससे प्रार्थी की सीमा में पडौसियों के खेत घुस गये है । अतः दुरूस्त किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 19.8. 2010 द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 136 को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए अपीलांट मौजा खेमाणा अवस्थित आराजी खसरा नंबर 835/1–ख रकबा 4 बिस्वा चाह व खसरा नंबर 835/1–क रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 9 की है। उक्त आराजियात के चारों तरफ अपीलांट ने बाड़ लगा रखी है । वर्तमान बंदोबस्त में साबिक आराजी खसरा नंबर 835/1–क के नवीन नंबर 1977 रकबा 0.04 है0 तथा साबिक आराजी नंबर 835/1–ख के नवीन नंबर 1978, 1979 रकबा 0.75 है0 कायम किये गये है । साबिक व नवीन रकबे में कोई अंतर नहीं है किन्तु भू–प्रबंध विभाग ने नवीन नक्शा बनाते समय रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 की आराजी संख्या 1973 पूरी एवं खसरा संख्या 1974 के कुछ भाग को अपीलांट के पूर्व नक्शे में मिला दिया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि साबिक आराजी संख्या 835/1–ख रकबा 4 बिस्वा चाह व खसरा नंबर 835/1–क की दक्षिणी, पश्चिमी एवं पूर्वी भुजा बिल्कुल सीधी है उसमें किसी प्रकार का मौड़ नही है लेकिन नवीन नक्शे में, जो आराजी संख्या 1978, 1977, 1979 से बना है, की पश्चिमी, दक्षिणी भुजा को टेढा कर रेस्पो0 की भूमि में मिला दिया है । भू–प्रबंध विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में परिवर्तन का अधिकार नहीं है । भू–प्रबंध विभाग द्वारा नवीन राजस्व नक्शा को पुराने राजस्व नक्शे से भिन्न बनाया गया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है किन्तु अधी0न्याया0 ने राजस्व की भिन्नता के संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं कर केवल मात्र रकबे की कमी को सिद्ध नहीं मानकर अपील खारिज की है जो त्रुटिपूर्ण निर्णय है जबकि अपीलांट द्वारा रकबा कमी बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । विद्वान वकील अपीलांट ने आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के विपरीत जाकर

अपीलांट को अन्य काश्तकारों की भूमि पर काबिज होना मानकर प्रार्थना पत्र अपास्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 19.8.2010 अपास्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेटस ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । भू–प्रबंध विभाग द्वारा तैयार हाल राजस्व नक्शा सही है । अपीलांट ने पूर्व नक्शे की आड़ में अन्य काश्तकारों की आराजियात पर कब्जा कर रखा था तथा साबिक नक्शे में ज्यादा आराजी दर्ज थी । भू–प्रबंध विभाग ने नवीन नक्शा मौके के अनुसार तैयार किया है जिसमें किसी भी काश्तकार की आराजी में कमी–बेसी नहीं हुई है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 10 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 के तहत केवल मात्र राजस्व रिकार्ड के इंद्राज हुई लिपिकीय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत त्रुटियों को परिशोधित किया जा सकता है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस पर मनन किया । अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा साबिक नक्शे आराजी 835/1–ख रकबा 4 बिस्वा चाह व खसरा नंबर 835/1–क दक्षिणी–पश्चिमी एवं पूर्वी भुजा सीधी है किन्तु भू–प्रबंध के दौरान तैयार नवीन नक्शे में आराजी संख्या 1978, 1977 व 1979 से बना है, की पश्चिमी, दुक्षिण भुजा को टेढ़ा कर रेस्पो0 की भूमियों को भी मिला दिया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार ने उक्त जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है नवीन नक्शा गत नक्शे के अनुरूप बना है तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ने नानू पुत्र पीथा गाडरी की आराजी खसरा नंबर 1973 के पूरे रकबे एवं खसरा नंबर 1974 के कुछ भू–भाग को मौके पर मिलाकर कब्जा कर रखा है तथा आराजी खसरा नंबर 1972 को मौके पर मिलाकर कब्जा कर रखा है । उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने गत नक्शे की आड़ में अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट नवीन नक्शे के अनुसार सही काबिज है । विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 के तहत केवल मात्र राजस्व रिकार्ड के इंद्राज में हुई लिपिकीय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत त्रुटियों को परिशोधित किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार, रायपुर की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के क्रम में न्यायालय में भी अपीलांट लिपिकीय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत

त्रुटि होना साबित करने में असफल रहा है । इस तरह अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य तथा विद्वान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19. 8.2010 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 156/2010 (2010/00007) बउनवानी चतरसिंह बनाम बरजी को खारिज किया जाता है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर द्वारा अपील संख्या 3/2010 बउनवान चतरसिंह बनाम बरजी में पारित निर्णय दिनांक 19.8.2010 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 23.4.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर